

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बामनवास जिला सवाई माधोपुर
धीरारीन अधिकारी सुनील कुमार मीना आर०प०एस०

भुक्तवमा नम्बर - 26/2025 राजस्व प्रार्थना पत्र

उत्पन्न

1 शिवचरण पुत्र ख्याली जाति मीना निकासी किरौत तहसील बामनवास

-प्रार्थी

बनाम

1 लैण्ड होल्डर जसिरे तहसीलदार बामनवास

-अप्रार्थी

बकील प्रार्थी - श्री बनवारी लाल बंजारा एडवोकेट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक - 11-6-25

प्रार्थी की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काशत की कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 05 रकबा 2.45 है० कुल किता 01 कुल रकबा 2.45 है० स्थित ग्राम कूचाबाढ़ चक नम्बर 03 तहसील बामनवास में है। प्रार्थी अपनी उक्त कृषि भूमि पर काबिज रहकर फसल काशत करता चला आ रहा है। प्रार्थी अपनी उक्त कृषि भूमि की एकमात्र स्वामी है। प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि से किसी दीगर व्यक्ति या आस पड़ौसी का कोई लेना देना नहीं है। इसके पश्चात भी प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के आस पड़ौसी खातेदारान आये दिन परेशान करते रहते हैं। तथा प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि की डौल मेड तोड़कर अपने खेतों में मिला लेते हैं। प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि से बेदखल कर अवैध कब्जा करने को उतारू रहते हैं। प्रार्थी को फसल काशत करने में दखल पैदा करते हैं। जिनका कि उनको कोई अधिकार नहीं है। इसके बावजूद भी आस पड़ौसी खातेदारान बाज नहीं आ रहे है। एवं आये दिन बाधा उत्पन्न कर रहे है। प्रार्थी अपनी उक्त कृषि भूमि की अकेली खातेदार कब्जे काशतकार है। इसके बावजूद भी आस पड़ौसी खातेदारान व्यवधान उत्पन्न करने से बाज नहीं आ रहे है। इस वजह से प्रार्थी की उक्त कृषि का सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। जिससे की प्रार्थी अपनी उक्त कृषि भूमि में सुचारु रूप से काशत कर लाभान्वित हो सके। प्रार्थीया दिनांक 09.04.2025 को अपने खेत को सार सम्भाल करने गयी थी तो मौके पर प्रार्थी की भूमि की डौल मेड टूटी हुई मिली इस वजह से प्रार्थी की कृषि भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जे काशत की आराजी हाल खसरा नम्बर 05 रकबा 2.45 है० स्थित ग्राम कूचाबाढ़ चक नम्बर 03 तहसील बामनवास का सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी करवाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 पंजीवद्ध किया गया। प्रार्थी की और से अपने खाते की नकल जमाबंदी एवं तहसीलदार बामनवास की और से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्बत् 2074 से 2077 ग्राम कूचाबाढ़ चक नम्बर पटवार मण्डल खेड़ली भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र खेड़ली तहसील बामनवास में स्थित आराजी हाल खसरा नंबर 05 रकबा 2.45 है० स्थित ग्राम कूचाबाढ़ चक नम्बर 03 तहसील बामनवास स्थित

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होकर है। प्रार्थी अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। हमारे द्वारा बहस वकील प्रार्थी की सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

// आदेश //

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम कूचाबाढ़ चक नम्बर 03 पटवार मण्डल खेड़ली भूअनिरीक्षक क्षेत्र खेड़ली तहसील वामनवास में स्थित आराजी हाल खसरा नंबर 05 रकबा 2.45 है0 स्थित ग्राम कूचाबाढ़ चक नम्बर 03 तहसील वामनवास भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0 अ0 निरीक्षक खेड़ली को 1000/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थी की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। अतः भू0अ0निरीक्षक खेड़ली जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थी की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार वामनवास को पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 11-6-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कोर्ट मुख्यालय पर सुनाया गया।

(सुनील कुमार मीना)

उपखण्ड अधिकारी
वामनवास (सर्वकार, वामनवास)